

प्रेषक,

रवि यादव  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
न्यायालय संख्या 05, मेरठ।

सेवा में,

माननीय महानिबंधक महोदय,  
माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

द्वारा- माननीय जिला न्यायाधीश महोदय  
मेरठ।

विषय:- शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 सपठित शासनादेश संख्या-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 11 जुलाई, 2024 के अनुक्रम में माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत पत्रांक 9691/IV-F-82 (Pension) / Admin- IV (I) दिनांकित 16-07-2024 के अनुपालन में पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुने जाने के संबंध में।

महोदय,

सादर निवेदन है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विषयांकित शासनादेश के माध्यम से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे कार्मिकों, जिनका चयन ऐसे पद/रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो, जिसका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू किये जाने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005/301(9)-2003 दिनांकित 28-03-2005 के पूर्व हो चुका था, को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने की व्यवस्था व विकल्प प्रदान किया गया है। उपरोक्त विषयक संदर्भ में अति सम्मानपूर्वक निवेदन निम्नवत् है:-

1. यह कि उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) प्रारम्भिक परीक्षा, 2003 के विज्ञापित पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या-ए-2/ई-1/2003, दिनांकित 15-11-2003 जो दिनांक 22-28 नवम्बर, 2003 के रोजगार समाचार में प्रकाशित हुआ, द्वारा आवेदन आमंत्रित किये गये।
2. यह कि उपरोक्त विज्ञापन के आधार पर प्रार्थी की उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में नियुक्ति, उत्तर प्रदेश शासन, नियुक्ति अनुभाग-4 की विज्ञप्ति/नियुक्ति आदेश संख्या-2430/दो-4-06-32(1)-2001 टीसी-1 लखनऊ: दिनांक 26-05-2006 के माध्यम से हुई है।
3. यह कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की अधिसूचना संख्या-1209/डीआर (एस) 2006 दिनांकित 13-06-2006 के अनुपालन में प्रार्थी ने दिनांक 14-06-2006 को जनपद न्यायालय प्रयागराज में अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर कार्यभार ग्रहण किया।
4. यह कि उत्तर प्रदेश शासन के विषयांकित शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 के अनुक्रम में प्रार्थी पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित होने योग्य एवं राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने का पात्र है।
5. यह कि प्रार्थी द्वारा शासनादेश संख्या-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 11 जुलाई, 2024 के साथ संलग्न प्रारूप के माध्यम से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर

पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुना गया है तथा विहित प्रारूप पर पुरानी पेंशन योजना चुने जाने का विकल्प एवं घोषणा पत्र विभागाध्यक्ष की सहमति/संस्तुति के साथ पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित किये जाने के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र के साथ सादर प्रेषित किया जा रहा है।

अतः विनम्र अनुरोध है कि प्रार्थी को पुरानी पेंशन योजना में शामिल किये जाने हेतु प्रेषित प्रार्थना पत्र मय विकल्प एवं घोषणा पत्र सहानुभूतिपूर्वक विचारणार्थ माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की महती कृपा करे।

विशेष आभार के साथ।

दिनांक-25.07.2024



(रवि यादव)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायाधीश न्यायालय संख्या 05, मेरठ

I.D. No -UP 6430

संलग्नक:- शासनादेश संख्या-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024

दिनांक 11 जुलाई, 2024 के साथ संलग्न प्रारूप पर पुरानी पेंशन 2024 के साथ संलग्न प्रारूप पर पुरानी पेंशन योजना चुने जाने का विकल्प व घोषणा पत्र।


कार्यालय जनपद न्यायाधीश, मेरठ।

पत्रांक 2405/1

दिनांक 25/07/2024

सेवा में,

श्रीमान् महानिबन्धक महोदय, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद।



जिला न्यायाधीश,

मेरठ।

25-07-2024

जिला न्यायाधीश  
मेरठ

शासनादेश संख्या- 20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)2024 दिनांक 11 जुलाई 2024 का संलग्नक-

विकल्प पत्र

1. नाम - रवि यादव  
(I.D. No -UP 6430)
2. वर्तमान पदनाम - अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मेरठ।
3. वेतनमान - 144840-194660 लेवल जे-5
4. वर्तमान विभाग का नाम - न्याय विभाग (जनपद न्यायालय मेरठ)
5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम - कार्मिक एवं न्याय विभाग (नियुक्त अनुभाग-4) उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।
6. विज्ञप्ति की तिथि - 15 नवम्बर 2003 (रोजगार समाचार 22-28 नवम्बर, 2003, विज्ञापन संख्या-ए-2/ई-1/2003)
7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि - 14-06-2006 (सं० 2430/दो-4-06-32(1)/2001 टीसी-1 एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद अधिसूचना दिनांक 13.06.2006)
8. योगदान की तिथि - 14-06-2006
9. जन्म तिथि - 20-07-1980
10. सेवानिवृत्ति की तिथि - 31-07-2040

मैं रवि यादव पुत्र श्री नन्द किशोर यादव शासनादेश संख्या 14/2024/सा-3-243/दस-2024/301 (1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना (✓)/नवीन पेंशन योजना (X) में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाय।

हस्ताक्षर

नाम - रवि यादव अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
पदमनाम - अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश। मेरठ

I.D. No -UP 6430

घोषणा पत्र

मैं रवि यादव पदनाम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या-01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही हैं तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर

नाम - रवि यादव अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
पदमनाम- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश। मेरठ

I.D. No -UP 6430

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा।

श्री रवि यादव, पदनाम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मेरठ को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना (✓)/नई पेंशन योजना (X) में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति

जिला न्यायाधीश  
मेरठ

संख्या-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024

प्रेषक,

नील रतन कुमार,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,  
उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,  
उत्तर प्रदेश ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 11 जुलाई, 2024

विषय- शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28  
जून, 2024 के क्रम में विकल्प दिये जाने हेतु प्रारूप ।

महोदय,

शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे कार्मिकों, जिनका चयन ऐसे पद/रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो, जिसका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू किये जाने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 2005 के पूर्व हो चुका था, को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

2- संदर्भित शासनादेश दिनांक 28 जून, 2024 की व्यवस्था के क्रम में कार्मिकों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुने जाने का प्रारूप इस शासनादेश के साथ संलग्न है।

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

# HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

## NOTIFICATION

DATED: ALLAHABAD: June 13, 2006

No. 947 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Sri **Vikas Goyal**, Candidate Civil Judge, Junior Division is appointed U/s 11(2) of the code Criminal Procedure 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Farrukhabad in the vacant court.

No. 948 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Susri **Tanya Singh**, Candidate Civil Judge, Junior Division is appointed U/s 11(2) of the code Criminal Procedure 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Hardoi in the vacant court.

No. 949 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Sri **Prashant Mittal**, Candidate Civil Judge, Junior Division is appointed U/s 11(2) of the code Criminal Procedure 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Meerut in the vacant court.

No. 950 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Susri **Shelly Roy**, Candidate Civil Judge, Junior Division is appointed U/s 11(2) of the code Criminal Procedure 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Hathras in the vacant court..

No. 951 /DR(S)/2006

Sri **Bhoopendra Rai**, Additional Civil Judge, Junior Division, Allahabad is appointed U/s 11(2) of the code Criminal Procedure 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Allahabad in the vacant court.

No. 952 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Sri **Sanjeev Kumar Singh**, Candidate Civil Judge, Junior Division is appointed U/s 11(2) of the code Criminal Procedure 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Allahabad in the vacant court.

No. 953 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Sri **Kamlesh Kumar Pathak**, Candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Allahabad.

No. 954 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Sri **Hitendra Hari**, Candidate Civil Judge, Junior Division is appointed U/s 11(2) of the code Criminal Procedure 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Mau in vacant court.

(P)

No. 1209 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Sri **Ravi Yadav**, Candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Allahabad.

No. 1210 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Sri **Janardan Prasad Yadav**, Candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Bahraich.

No. 1211 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Sri **Mohammad Azad**, Candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Budaun.

No. 1212 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Sri **Gyanendra Singh**, Candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Kanpur Dehat.

No. 1213 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Sri **Jahendra Pal Singh**, Candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Kanpur Dehat.

No. 1214 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Sri **Anil Kumar**, Candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Azamgarh.

No. 1215 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Sri **Jay Gopal Giri**, Candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Bhadohi at Gyanpur.

No. 1216 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Susri **Alka Bharti**, Candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Jaunpur.

No. 1217 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Susri **Ankita Shukla**, Candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Lucknow.

No. 1218 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Sri **Rakesh Kumar**, Candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Budaun.



# लोक सेवा आयोग, 30510

विज्ञापन संख्या-  
ए-2/ई-1/2003

## उ.प्र. न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) प्रारम्भिक परीक्षा, 2003 आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने की अन्तिम तिथि: 19 दिसम्बर, 2003 डाकघरों के माध्यम से आवेदन पत्र वितरण की तिथि : 22 नवम्बर, 2003

**आवश्यक सूचना**

एव विज्ञापन 3. ए. लोक सेवा आयोग के वेबसाइट <http://uppsc.nic.in> पर भी उपलब्ध है।

2. इस परीक्षा में ओ.एस.आर. आवेदन पत्र पढनी लाग है। अभ्यर्थी आवेदन पत्र विज्ञापन में उचित सूची में दिए गए डाकघरों से भेज कर सकते हैं। जे.पी.सी. सिरीज के आवेदन पत्र (सामान्य अभ्यर्थियों), 3.5. के अन्तर्गत भेजे जाने के अभ्यर्थियों तथा 3.5. के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के अधिकृत अभ्यर्थियों हेतु का मूल्य रु. 150/- तथा जे.पी.आर. सिरीज (3.5. के अनुसूचित जाति/3.5. के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु) का मूल्य रु. 90/- है। 3.5. के भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी आवेदन पत्र अपने मुख्य श्रेणी के अनुसार ही भेज सकते।

3. अभ्यर्थी अपने ओ.एस.आर. आवेदन पत्र की कोटो स्टेट प्रति अपने पास रखें तथा भविष्य के पत्राचार में ओ.एस.आर. आवेदन पत्र के नम्बर का उल्लेख अवश्य करें।

3.5. लोक सेवा आयोग, 3.5. न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा) में प्रवेश हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु परिशिष्ट-1 में उल्लिखित जिलों के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर मार्च, 2004 में एक प्रारम्भिक परीक्षा का आयोजन करेगा।

परीक्षा की तिथि तथा परीक्षा केन्द्रों का नाम अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र के माध्यम से सूचित किया जाएगा। परीक्षा केन्द्रों का अवधान आयोग द्वारा स्वयंसेवकद्वारा किया जाएगा।

2. **परिष्कार्य** :- सितियों की कुल संख्या 347 है जिसमें 3.5. के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 73, 3.5. के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 07, 3.5. के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 94 एवं सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 173 सितियाँ आवंटित हैं। आरक्षण संख्या 18/1/95-आ-2/1995-टी.सी. 1/97, दिनांक 20.9.97 से दिए परिणामानुसार 3.5. के स्वतंत्रता संग्राम सेनानिकों के अधिकतम दो प्रतिशत तथा 3.5. के भूतपूर्व सैनिकों को एक प्रतिशत आरक्षण का लाभ प्रदान किया जाएगा। एवं की प्रकृति को ध्यान रखते हुए 3.5. के समाज के विकरालों को आरक्षण दिया जाना अनुसन्ध नहीं है।

**नोट :-** (1) आरक्षण का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी के सम्बन्ध में इस विज्ञापन के परिशिष्ट-3 में मुद्रित निर्धारित पत्र पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र प्राप्त कर ले एवं जब तक उसे ओ.एस.आर. तब वे उसे आवेदन की प्रस्तुत करें। (2) आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी ओ.एस.आर. आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी/उपश्रेणी अवश्य उचित करें। (3) एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दवा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक फ़ूट जो अधिक लाभकारी हो दी जायेगी। (4) अनुसूचित जाति अनु. जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के अधिकृत एवं भूतपूर्व सैनिक जो 3.5. राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुसन्ध नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी माने जायेंगे। (5) 3.5. न्यायिक सेवा नियमावली 2001 के नियम 8 के अन्तर्गत 3.5. की महिलायों के लिए आरक्षित सितियों (1) विशेष अनुज्ञा पत्रिका संख्या 18822/2001 3.5. राज्य बनाम हरिन्द बाहदुर सिंह, (2) विशेष अनुज्ञा पत्रिका संख्या 18822/2001 3.5. राज्य बनाम हरिन्द बाहदुर सिंह, (3) विशेष अनुज्ञा पत्रिका संख्या 628/2001 कु. शिवानी जयसवाल बनाम हरिन्द बाहदुर सिंह, (4) विशेष अनुज्ञा पत्रिका संख्या-18624/2001 3.5. राज्य बनाम हरिन्द सिंह एवं (5) विशेष अनुज्ञा पत्रिका संख्या 18/2001 कु. शिवानी जयसवाल बनाम हरिन्द सिंह एवं (6) विशेष अनुज्ञा पत्रिका संख्या 18/2001 कु. शिवानी जयसवाल बनाम हरिन्द बाहदुर सिंह से भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानिकों के अर्थन

अने शामिल। इस तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किए जायेंगे। आवेदन पत्र जमा करने पर कौन्सिलर से रसीद अवश्य प्राप्त करें।

8. **डाकघरों की सूची** :- आगरा (282 001) अलीगढ़ (202 122), इलाहाबाद एवं.ओ. (211 001), इलाहाबाद शहरी (211 002), इलाहाबाद वैद्यकीय लाहुरी (211 004), इलाहाबाद (राजगंज) 211 006, इलाहाबाद सिटी 211 003, अमरकंटक नगर अमरकंटक 224 122 अरिया 200 122 आगरा-276 001, बनारस 243 601, बाराणसी 250 009, बरवाण 271 801, बलरामपुर 271 201, बलिया 277 001, बदायुँ 210 001, बाराबंकी 225 001, बलिया 243 001, बलिया (शहरी)-272 161, 205, देवरिया-274 001, एटा 207 005, इटावा 206 001, फैजाबाद-224 001, फतेहगढ़-209 623, फतेहपुर 212 601, गोरखपुर 283 203, गोरखगढ़ नगर (सीएच)-201 301, गाजियाबाद-201 001, गाजीपुर 233 001, गोंड 271 001, गोरखपुर-273 001, गौरीगढ़-210 301, हरदोई-241 601, हाथरस-207 101, जालौन (पड़ोस)-285 001, जौनपुर-222 001, झांसी-284 001, जयसिंहपुरनगर- (अमरकंटक)-272 127, कन्नड़-209725, कानपुर जे.पी.ओ.-208 004, कानपुर सेंट्रल-208 001, कानपुर नवगंज, कौशाम्बी (कन्नड़नगर)-212 207, कौशाम्बी (पुर्ववर्ती)-274 304, लखनऊ (वैदी)-262 701, लखनऊ-284 403, लखनऊ, जे.पी.ओ.-226 001, लखनऊ (वैदी)-226 603, महाराजगंज-221 010, महाराजगंज-210 427, मैनपुरी-205 001, मथुरा 281 001, मऊ-275 101, मेरठ-250 001, मिर्जापुर-231 001, मुरादाबाद-244 001, मुजफ्फरनगर-251 001, मेरौली-262 001, प्रतापगढ़-230 001, रायबरेली-229 001, रामपुर 244 901, सहारनपुर-247 001, संतकबीर नगर (खलीफाबाद), सत रवेदवास नगर (खलीफा), शाहजहाँपुर-242 001, शारदा (पिपरा), सिद्धार्थनगर (टिहरी गंज), सीतापुर 267 001, साँचढ़ (राबड़संग), सलामतपुर, 228 001, प्रताप-209 801, वाराणसी एव.क्यू. - 221 001, वाराणसी केन्ट-221 002।

### 9. महत्वपूर्ण निर्देश :-

- (1) एक लिफाफे में एक से अधिक अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र होने अथवा एक लिफाफे में एक से अधिक विज्ञापनों के आवेदन पत्र होने अथवा अभ्यर्थी द्वारा अपने ही नाम से एक से अधिक आवेदन पत्र जमा किए जाने पर सभी आवेदन पत्रों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा, फीसों द्वारा आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जायेंगे।
- (2) किसी भी प्रकार से भ्रूणों एवं अस्वाभाविक आवेदन पत्र सामान्यतः होने के बावजूद भी सरकारी तौर पर अस्वीकृत कर दिए जायेंगे।
- (3) आयोग सभी आवेदन पत्रों की प्रति स्वीकार करेगा। यदि आवेदन पत्र अभ्यर्थी को अनुसन्धित श्रेणी आयोग कार्यलय में जमा किए जाने वाले आवेदन पत्र की प्रति रसीद परस्वीकरण के समय ही जारी है, प्रति की रसीद अवश्य प्राप्त करे।
- (4) अपना कर्मस्थान पत्र/अवकाशिका कर्मस्थान प्राप्त अधिकारों जो सेना से अवकाश नहीं हुए हैं, किन्तु जिसकी सैन्य सेवा में पुनर्गठन के लिए वृद्धि की गई है, भी इस परीक्षा के लिए शामिल करना सख्त 22/10/1976 का-2-85, दिनांक 30.1.85 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों पर आवेदन कर सकते हैं :-  
(a) आवेदन को सेना- नर्सिंग, गायुसेम के सक्षम अधिकारी का इस सम्बन्ध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसकी सेवा अवधि पूर्णतः के लिए बढ़ाई गई है अथवा यदि पूर्णतः नहीं बढ़ाई गई है तो उसे बढ़ाई के लिए वृद्धि का-2-85, दिनांक 30.1.85 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों पर आवेदन कर सकते हैं :-

(राज्यकार) में सम्मिलित होना अनिवार्य है।  
एवं अभ्यर्थी के पत्र में कोई परिवर्तन होता है तो उसे तत्पश्चात से आयोग को रिजिटर्ड डाक द्वारा सूचित किया जाना चाहिए। आयोग से सभी पत्राचार में परीक्षा का नाम 'विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी का नाम, अनुसूचिति तथा अनुसन्धिका (यदि सूचित किया गया हो) का उल्लेख अवश्य होना चाहिए।

### परिशिष्ट-1

केन्द्रों के नाम :-	क्र.सं.	अवधि	क्र.सं.	अवधि
1. आगरा	2	इलाहाबाद	4	गोरखपुर
3. बलिया	6	लखनऊ	8	वाराणसी

### परिशिष्ट-2

उ.प्र. न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) प्रारम्भिक परीक्षा का पाठ्यक्रम

क्रम	व्ययम	अंक-150
2 घंटे		

इस प्रश्न पत्र में भारत का इतिहास और भारतीय संस्कृति भारत का भूगोल भारतीय राजनीति वर्तमान राष्ट्रीय मामलों और सामाजिक सुरक्षा के विषय, भारत और विश्व, भारतीय अर्थव्यवस्था अन्तरराष्ट्रीय मामले और संस्थाएं और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, स्वराज एवं अन्वेषिक के क्षेत्र में विज्ञान पर आधारित प्रश्न सम्मिलित हो सकते हैं।

इस प्रश्न पत्र में प्रश्नों की प्रकृति और स्तर। सर होंगे कि एक सुविधित व्यक्ति किना किसी विषय पर अध्ययन के इसके अन्तर् 2 7 अंकों में सक्षम होगा।

### प्रश्न पत्र-द्वितीय

विधि	अंक-300
2 घंटे	

इस प्रश्न पत्र में भारत में तथा विश्व में किसे स्वर से विधिक क्षेत्र में हो रही प्रतिदिन की घटनाएं अधिनियम एवं विधियों पर आधारित प्रश्न सम्मिलित हो सकते हैं।

### परिष्कार्य

- (I) अन्तरराष्ट्रीय संगठन
- (II) वर्तमान अन्तरराष्ट्रीय प्रकरण
- (IV) भारतीय संविधान
- (V) सामंति अन्तरराष्ट्रीय अधिनियम
- (VI) भारतीय सौक्ष्म अधिनियम
- (VII) भारतीय वृद्ध संविधान
- (VIII) लिखित प्रश्निका संविधान
- (IX) अन्तरराष्ट्रीय प्रक्रिया- संविधान
- (X) संविधान विधि

### उ.प्र. न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन)

मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा) का पाठ्यक्रम

परीक्षा में निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे :-

प्रश्न पत्र संख्या - 1 सामान्य ज्ञान :-

यह प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा। सामान्य ज्ञान का एक प्रश्न पत्र होगा।